प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-लेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान की धारा 151 के तहत संसद के पटल पर रखे जाने के प्रयोजन से भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-लेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई हैं।

भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की (15 अगस्त 2014) कि देश के सभी विद्यालयों में एक वर्ष के भीतर बालकों तथा बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए तथा कॉरपोरेट क्षेत्र से उनको कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंश के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यम को प्राथमिकता देने का आवाहन किया। कॉरपोरेट क्षेत्र ने स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत अपनी सीएसआर निधियों से सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया।

एसवीए की महत्ता तथा उसके देशव्यापी प्रभाव को देखते हुए, "सीपीएसईज़ द्वारा विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण" विषयक लेखापरीक्षा की गयी। इस प्रतिवेदन में अभियान के कार्यान्वयन में देखी गईं कुछ कमियों को उजागर किया गया है और वित्तीय प्रभाव पर भी चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा के निष्पादन में अभिलेख उपलब्ध कराने, सूचना और पुष्टि उपलब्ध कराने में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी तथा सीआईएल (उसकी सहायक कम्पनियों सहित), संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ विद्यार्थियों, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निभाई गई सहयोगात्मक भूमिका हेतु लेखापरीक्षा विभाग आभार व्यक्त करता है।